



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1063/2026

अनुज दुबे

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

:

राजेश द्विवेदी

प्रतिवादी अधिवक्ता

:

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेश द्विवेदी और राज्य के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को भी देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 136/2025, धारा 103(1) बीएनएस, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में बताए गए अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में उसका नाम नहीं है।
5. अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक का नाम प्राथमिकी दर्ज होने के अगले दिन धारा 180, बीएनएसएस के तहत दर्ज किए गए सूचना देने वाले के बयान में पहली बार सामने आया। उस बयान में भी, सूचना देने वाले ने आवेदक को कोई सीधी भूमिका नहीं बताई है और सिर्फ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर आरोप लगाए हैं, यह दावा करते हुए कि उसे मृतक के नाबालिग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बच्चों ने ऐसा बताया था, इस तरह, आवेदक का आरोप पूरी तरह से अप्रत्यक्ष, भरोसे के लायक नहीं और बिना पुष्टि वाली जानकारी पर आधारित है।

6. अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक को सिर्फ मृतक के साथ कथित अवैध संबंध के आधार पर झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष का मामला खुद बताता है कि मृतक के पति ने कथित संबंध से दुखी होकर उसकी हत्या कर दी थी।

7. अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 14.05.2025 से जेल में बंद है, और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

8. इसके विपरीत, ए.जी.ए. ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता की दलीलों और इस बात पर भी बहस नहीं कर पाए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है, उसका नाम प्राथमिकी दर्ज होने के अगले दिन आया, और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक ने यह जुर्म किया है, पहली नज़र में मुझे यह आवेदक को जमानत पर रिहा करने का सही मामला लगता है। जमानत अर्जी **मंजूर** की जाती है।

10. आवेदक- **अनुज दुबे**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

11. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।



12. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

27 जनवरी, 2026

सिद्धांत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।